

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई/डीएलबी/19/3004

दिनांक: 26/2/19

-:आदेश:-:

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-


क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री महेन्द्र कुमार पुरोहित	सहायक राजस्व निरीक्षक	पिण्डवाडा	शिवगंज
2	श्री बृजेन्द्र सिंह मीना	फायरमैन	खैरली	भुसावर
3	श्री बलराम मीना	फायरमैन	निवाई	लालसोट
4	श्री रमेश कुमार चौधरी	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	जैसलमेर
5	श्री मनिष सिंगोलिया	जमादार	प्रतापगढ	एपीओ निदेशालय
6	श्री सुरेश शर्मा	वाहन चालक	प्रतापगढ	एपीओ निदेशालय
7	श्री संतोष चनाल	सफाई कर्मचारी	प्रतापगढ	एपीओ निदेशालय
8	श्री सन्नी टोपे	सफाई कर्मचारी	प्रतापगढ	एपीओ निदेशालय
9	विष्णु/कालू सरसिया	सफाई कर्मचारी	छोटी सादडी	प्रतापगढ
10	दुर्गा/कालू सरसिया	सफाई कर्मचारी	कानोड	प्रतापगढ
11	श्री विक्रम कुमावत	सफाई कर्मचारी	कानोड	कपासन

विभागीय आदेश क्रमांक प.1ग( )का/एस.एम.ई/डीएलबी/19/2102-2128 दिनांक 12.02.2019 के क्रम संख्या 03 पर अंकित श्री बुट्टा सिंह, वायरमैन का नगर पालिका पीलीबंगा से जालौर किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है। यह अपनी उपस्थिति संबंधित नगरीय निकाय में देवें।

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।


  
(पवन अरोडा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग)( )का/एसएमई/डीएलबी/19/3005-3057

दिनांक : 26/2/19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
6. संबंधित कर्मचारी श्री .....।
7. सुरक्षित पत्रावली।

  
(डॉ वीरेन्द्र सिंह)  
उप निदेशक (प्रशासन)